निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -145/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**IV** राज्य कर रूद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपायुक्त (क.नि)-**IV** राज्य कर रूद्रपुर के माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, एवं र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 30.01.2018 से 07.02.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. **<u>(1)</u>**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – ट्रें डग गदरपुर दिनेशपुर
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	11.9.15 से कार्यालय का सृजन कया गया
2015-16	6778.04
2016-17	8147.98

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना राजस्व सम्मि लत करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में उपायुक्त (क.नि)-**IV** राज्य कर रूद्रपुर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**IV** राज्य कर रूद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2016, 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2''ब'

प्रस्तर.01:–प्रपत्र सी पर अनियमित छूट देने के कारण कम कर का आरोपण `0.42 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली 1957के नियम 12 के अनुसार एकल घोषणापत्र में बिक्री सम्बन्धी उन सभी लेनदेनों को सम्मिलित किया जायेगा जो किसी वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास में उन्ही दो व्यक्तियों के बीच होते है। प्रत्येक त्रैमास में इस प्रकार परिदत्त किये गये माल के लिये पृथक घोषणापत्र देना आवश्यक होगा,

उपायुक्त (क0नि)–4 राज्य कर रुद्रपुर के एक अप्रैल 2016 से इकतीस मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री स्टैण्डर्ड रबर प्रोडक्टस गदरपुर रुद्रपुर टिन05006533169 एक पंजीकृत व्यौहारी है। कारोबार रबर कम्पोनेंट का निर्माण तथा बिक्री है।संगत वर्ष 2012–13 का कर निर्धारण वाद आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2)के अन्तर्गत दिनॉक 09.08.16 को पारित किया गया। व्यौहारी द्वारा रबर कम्पोनन्ट की बिक्री प्रपत्र सी पर की गयी,जिनमें अनियमित संव्यहार किये गये थे जिस पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा एक प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था। आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित सी प्रपत्रों में (एक से अधिक तिमाही के संव्यवहार) अंकित किये गये जो निम्नवत हैं:–

प्रपत्र सी की सं0	बिल सं0	दिनॉक	अन्तर्गस्त धनराशि	अनियमित धनराशि
TIN–2012CTC-OH 0009568	7	03.04.12	27200.00	.....
–तदैव–	73	30.03.12	157020.00	157020.00
–तदैव–	198	27.06.12	82540.00	.....
M H–13/066994	385	10.10.12	83012.00	.....
–तदैव–	498	12.06.12	130948.00	130948.00
–तदैव–	977	27.02.11	46120.00	46120.00
			अनियमित धनराशि का योग	**334080.00**

उक्त नियम के आलोक मे द्वितीय माह के संव्यहार को छोडकर तृतीय त्रैमास के सव्यवहार पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार अन्तरीय दर 12.5(13.5–1)प्रतिशत की दर से रु.41761.00(334080×12.5) कर कम आरोपित किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्र सी0 सं00009568में आच्छादित समस्त धनराशि प्रथम तिमाही से सम्बन्धित है,अतः प्रस्तर निक्षेप योग्य है,तथा प्रपत्र सं0066994 में जॉचोपरान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी।

सम्प्रेक्षा को कर निर्धारण अधिकारी का कथन इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि प्रपत्र सी0सं0. 0009568 में दो तिमाही से सम्बन्धित संव्यवहार सामिल हैं। अतएव प्रपत्र सी पर दी गयी अनियमित छूट

दिये जाने के कारण कम कर `0.42 के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग–2''ब'

प्रस्तर.02:–अनियमित छूट के कारण अनारोपित कर `8.36 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय हुआ केवल तभी समझा जायेगा, जब उस विक्रय से ऐसा निर्यात होता है या भारत के सीमा शुल्क सीमान्तो से माल पार जाने के पश्चात माल के हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा किया जाता है। निर्यात करार या आदेश का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिये किया गया हो। नियम 12 की उपधारा (10) 1 (क) के अनुसार धारा 5 की उपधारा 3 के अर्थो में यदि किसी ब्यौहारी ने किसी माल का विक्रय किया है और वह दावा करता है कि अधिनियम के अन्तर्गत वह कर देने के लिये इस आधार पर उत्तरदायी नही है क्यौकि उक्त माल की बिक्री भारत राज्य के बाहर निर्यात के दौरान की गयी है तो वह अपने दावे के समर्थन में विहित अधिकारी के समक्ष निर्यातक द्वारा सम्यक रुप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ज में प्रस्तुत करेगा और प्रमाण पत्र के साथ वह ऐसे माल के निर्यात का साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा।

उपायक्त (क0नि)–4 राज्य कर रुद्रपुर के एक अप्रैल 2016 से इकतीस मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री मोनाड टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 गदरपुर रुद्रपुर टिन05009031404 एक पंजीकृत व्यौहारी है।फर्म पैकिंग मटेरियल (कोरेटेड बाक्स)के निर्माण तथा बिक्री के लिये पंजीकृत है।संगत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (2) के अन्तर्गत पारित आदेश 373 दिनॉक शून्य में कोरेटेड बाक्स के सीधे निर्यात `8797250.00 को करमुक्त किया गया । आगे पत्रावली में संलग्न बिल आफ लैंडिग की जॉच में पाया गया कि पत्रावली पर संलग्न नेपाल के कस्टम विभाग के छाया प्रतियों के अनुसार निर्यात पेपर ट्रे तथा वार्प राऊंड ट्रे किया गया था, कोरेटेड बाक्स का नही।

उपरोक्त अधिनियम के नियम 12 के आलोक में निर्यात की गयी वस्तु कोरेटेड बाक्स से भिन्न पेपर ट्रे तथा वार्प राऊंड ट्रे किया गया जो कि नियम संगत छूट के लिये अमान्य था। अतएवं इस बिक्री पर पूर्ण दर पॉच प्रतिशत से `439862.50(8797250×5)का कर अनारोपित रह गया।

इसी प्रकार सर्वश्री देवभूमि पालिमर्स प्रा0लि0 पन्तनगर टिन 05006143811 वर्ष 2013–14 आदेश मूल्य वर्धित की अधिनियम की धारा 25(7) दिनाक 02.02.2017के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में प्रपत्र एच से `7942265.00 के पैकिंग टेप की विक्री की गयी जिसमें `27500.00 पर पूर्ण दर पॉच प्रतिशत से कर आरोपित किया गया। बिल आफ लैडिंग के अनुसार भारत देश की सीमा से बाहर ग्लास आर्टवेयर अल्यूमूलियम आर्टवेयर हैण्डी क्राफट वेयर का पारगमन होना पाया गया किन्तु पैकिंग टेप का पारगमन होना नही पाया गया। फलतः शेष पैकिंग टेप की बिक्री `7914765 (7942265–27500) पर दी गयी कर छूट अनियमित थी जिसके कारण `395738. 00(7914765×5) कर अनारोपित रह गया। किन्तु केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम धारा (9)2 के अन्तर्गत पारित आदेश में इस निर्यात का उल्लेख नहीं किया गया था।

उपरोक्त सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि(1) कोरेटेड वाक्स का तकनीकी नाम वार्प ट्रे तथा पेपर ट्रे है अतः आपत्ति निक्षेप योग्य है। (2)

कि प्रपत्र एच प्रदाता व्यौहारी द्वारा अपने माल के निर्यात में पैंकिग टेप का इस्तेमाल किया गया। अतः आपत्ति निक्षेप योग्य है।

सम्पेक्षा को कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर इस आधार पर अमान्य है कि(1)डाबर नेपाल लि0 के क्रय आदेश में पेपरट्रे,वार्प ट्रे लिखा था, जबकि इनवाइस व केन्द्रीय पंजीयन में कोरेटेड बाक्स का निर्माण व बिक्री अंकित था अतः वस्तु भिन्नता परिलक्षित है।(2)पैकिंग टेप के निर्यात के साक्ष्य नही पाये गये।

अतः दोनो व्यौहारियों पर `835600.00(439862+395738) के अनारोपित कर के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–2''ब'

प्रस्तर.03:–अनारोपित कर `2.39 लाख

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)–चतुर्थ वाणिज्य कर रुद्रपुर के अभिलेखो के अनुसार निम्नलिखित पंजीकृत ब्यौहारियो के कारोबार की कर निर्धारण पत्रावली व आदेश धारा 25(7)के अन्तर्गत निस्तारित किये गये। कर निर्धारण आदेश व पत्रावली की जॉच के दौरान की खरीद बिक्री प्रयोग व अन्तिम स्टाक में निम्नानुसार अन्तर पाया गया :–

ब्यौहारी का नाम	क0नि0वर्ष आदेश	आ0स्टाक	खरीद	योग	अन्तिम स्टाक(–)	बिक्री जो दिखाई जानी थी	बिक्री कर निर्धारण आदेश के अनुसार (–)	अन्तर/छुपाई गयी बिक्री	अनारोपित कर
सर्वश्री बायोस्टड लि0 गदरपुर रुद्रपुर टिन. 05000830054	2013–14 624 दिनॉक 04.02..2017	4122988	31904114	36027102	4161131	31865971	31441464	424507.00	रु.21225.00 (424507×5)
सर्वश्री वी0टी0 इंजीनियरिंग रुद्रपुर टिन 05009773066	2010–11 97 दिनॉक 30.11.15	19153	25541096	25560249	5550207	20010042	18397410	1612632.00	रु.217705.00 (1612632 ×13.5)

अनारोपितकर का योग रु238930.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि सर्वश्री बायोस्टड लि0 के स्टाक ट्रांसफर में अनुमानित कीमत लिखी गयी है जिसके कारण अन्तर है,एवं सर्वश्री बी0टी0इंजीनियरिंग रुद्रपुर `8179286.00 की मशीनरी को **फक्सड** एसेटस में डाले जाने के कारण अन्तर है, अतः आपत्ति निक्षेप योग्य है।

सम्प्रेक्षा को कर निर्धारण अधिकारी का कथन इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि सर्वश्री बायोकस्टक लि0 रुद्रपुर की बिक्री में लाभ भी शामिल है, इसलिय यह कहना कि अनुमानित कीमत के कारण अन्तर है, तर्कसंगत नहीं है। सर्वश्री बी0टी0 इंजीनियरिंग लि0 रुद्रपुर में यदि मशीनरी के **फक्सड** एसेटस में शामिल होने के कारण अन्तर होता तो यह अन्तर `8179286.00 का होना था न कि मात्र `1612632.00 का।

अतः अनारोपितकर `238930.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग–2''ब'

प्रस्तर.04:–अर्थदण्ड का अनारोपण `1.25 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारी 58 की उपधारा –8 के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–चतुर्थ वाणिज्य कर रुद्रपुर के गठन तिथी से माह मार्च 2017 तक के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि ं निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा अपने देय कर बिलम्ब से जमा किया जाना पाया गया था :–

क्र सं0	व्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष/आदेश. दिनॉक	कर अवधि	कर की देय तिथि	जमा की दिनॉक	बिलम्ब माह/दिन	अन्तरग्रस्त धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	सर्वश्री ग्रोवर राइस मिल गदरपुर	2013–14 838 30.03.17	12/13	20.01.14	02.02.14	11दिन	320000.00	32000.00
2.	तदैव	तदैव	04/13	20.05.13	30.05.13	10दिन	42445.00	4244.50
3.	तदैव	तदैव	03/14	20.04.14	13.05.14	23दिन	75000.00	7500.00
4.	सर्वश्री चावला आटो कम्पोनेन्ट रुद्रपुर	2013–14 384 03.02.16	03/14	20.04.14	02.05.14	11दिन	816688.00	81668.80

उपरोक्त अधिनियम के आलोक में कम से कम 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड `125412.00 अनारोपित रह गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी ।

अतः अनारोपित अर्थदण्ड `125412.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -डी.डी.ओं कार्य नहीं कया जा रहा है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -145/2017-18

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**IV** राज्य कर रूद्रपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

   (i) कसी भी ले0प0 ज्ञाप0 का उत्तर/सूचनायें अप्रयाप्त

   (अ)नमूना माह के चालानों की सूची

   (ब) स्टोन क्रेशर के संचालन की पत्रावली इत्यादि

2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्री एन0एस0 बोश	उपायुक्त	22.09.15 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**IV** राज्य कर रूद्रपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र